फार्म - बारह

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-33 देखें]

व्यापार के परिवर्तन के संबंध में सूचना

सेवा में,

पंजीकरण अधिकारी,
वाणिज्य कर,
सेक्टर----------सर्किल----------

नाम / ट्रेड का नाम																								
पता																								
टिन																								

महोदय,

दिनांक---------- को निम्न घटना घटित होने के फलस्वरूप, फर्म के गठन में परिवर्तन हुआ है :- [नीचे दी गयी संभावित घटनाओं की सूची में से उस घटना / उन घटनाओं को लिखें जो लागू होती हों]

कृपया तदनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र को संशोधित करने का कष्ट करें।

स्थान:
दिनांक:

प्रार्थी के हस्ताक्षर
नाम
प्रास्थिति

घटनाओं की सूची:

(ए) अपने व्यापार या उसके किसी भाग को बिक्री, पट्टा, त्यागना, लाईसेंस, भाड़ा या किसी भी अन्य रीति से अंतरित करता है या अपने व्यापार या उसके किसी भाग का अन्यथा निस्तारण करता है ; या

(बी) किसी व्यापार का, चाहे क्रय द्वारा या अन्यथा अर्जन करता है ; या

(सी) अपने व्यापार के स्वामित्व या गठन में कोई अन्य परिवर्तन करता है या ऐसा परिवर्तन उसकी जानकारी में आता है ; या

(डी) अपना व्यापार बन्द करता है या अपने व्यापार या वेयरहाउस के स्थान में परिवर्तन करता है, या व्यापार या वेयरहाउस को नए स्थान पर खोलता है ; या

(ई) अपने व्यापार के नाम, अभिनाम या स्वरूप में परिवर्तन करता है या उस माल के, जिसमें वह अपना व्यापार करता है, वर्ग या विवरण में, जैसा पंजीयन प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट है, कोई परिवर्तन करता है ; या

(एफ) अपने व्यापार के संबंध में भागीदारी या अन्य सहयोजन में प्रवेश करता है ; या

(जी) कोई नया व्यापार प्रारंभ करता है या किसी अन्य व्यापार में या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से सम्मिलित होता है ; या

(एच) किसी परिनियम के अधीन निगमित किसी कंपनी के मामले में निदेशकों के बोर्ड के गठन में कोई परिवर्तन करता है ; या

(आई) धारा-17 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र में दिये गये ब्यौरे में परिवर्तन करता है।

अनुलग्नकों का विवरण:

1. पंजीयन प्रमाण पत्र [फार्म - ग्यारह]
2. घटित घटना का प्रमाण जिससे पंजीकरण अधिकारी संतुष्ट हों।
3. सम्यक रूप से भरा हुआ फार्म - सात / सात (छ) आवश्यक अनुलग्नकों सहित।
4. पूर्व में दी गयी जमानत को संशोधित फर्म की संरचना के लिए वैध मानने हेतु प्रतिभूतियों का वचन पत्र फार्म-तेरह।